कर राजस्व

(₹ करोड़)

कर राजस्व		मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2023-2024	बजट 2024-2025	संशोधित 2024-2025	बजट 2025-2026
कर राजस्व						
1. निगम कर						
1.01.	संग्रहण	0020	810869.81	916000.00	883000.00	970000.00
1.02.	अधिभार	0020	60373.34	65000.00	60000.00	70000.00
1.03.	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर	0020	33713.12	39000.00	37000.00	42000.00
1.04.	शास्तियां	0020	79.27	...	...	...
1.05.	ब्याज वसूलियां	0020	1647.65	...	...	...
1.06.	घरेलू कम्पनियों के रियायती लाभों पर कर	0020	1283.49	...	...	...
1.07.	यूनिटधारकों को वितरित आय पर कर	0020	3086.82	...	...	...
1.08.	विविध प्राप्तियां	0020	1.51	...	...	...
जोड़-निगम कर			*911055.01*	*1020000.00*	*980000.00*	*1082000.00*
2. आय कर						
2.01.	संग्रहण	0021	914689.38	1031000.00	1075000.00	1220000.00
2.02.	अधिभार	0021	54793.80	75000.00	76000.00	85000.00
2.03.	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर	0021	37443.84	44000.00	48300.00	52000.00
2.04.	शास्तियां	0021	120.21	...	...	...
2.05.	ब्याज वसूलियां	0021	3189.82	...	...	...
2.06.	काले धन के तहत कर	0021	30.09	...	...	...
2.07.	विविध प्राप्तियां	0021	680.63	...	...	...
2.09.	प्रतिभूति लेन देन कर	0034	33777.78	37000.00	55000.00	78000.00
2.10.	होटल प्राप्ति कर	0023	0.34	...	...	...
2.11.	ब्याज कर	0024	19.93	...	...	...
2.12.	अनुषंगी लाभ कर	0026	-4.46	...	...	...
2.13.	आय तथा व्यय पर अन्य कर					
2.13.01.	व्यय कर	0028	14.79	...	...	...
2.13.02.	आय घोषणा योजना, 2016	0028	...	...	...	...
2.13.03.	अन्य प्राप्तियां	0028	0.10	...	2700.00	3000.00
जोड़-आय तथा व्यय पर अन्य कर			*14.89*	*...*	*2700.00*	*3000.00*
2.14.	कृषि कल्याण उपकर	0028	...	...	...	...
2.16.	पीएम गरीब कल्याण योजना 2016 के लिए कराधान और निवेश संबंधी व्यवस्था	0028	...	...	...	...
जोड़-आय कर			*1044756.25*	*1187000.00*	*1257000.00*	*1438000.00*
3. संपत्ति कर						
3.01.	संपदा शुल्क	0031	1.31	...	...	...
3.02.	धन पर कर	0032	6.12	...	...	...
जोड़-संपत्ति कर			*7.43*	*...*	*...*	*...*
4. पण्य लेन - देन कर						
4.01.	वस्तु लेनदेन कर के अंतर्गत संग्रहण	0036	414.32	...	...	...
4.04.	गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम	0036	...	...	...	...
जोड़-पण्य लेन - देन कर			*414.32*	*...*	*...*	*...*
5. सीमा शुल्क						
5.01.	आयात शुल्क					
5.01.01.	बुनियादी शुल्क (स्क्रिप्ट नामे के माध्यम से)					
5.01.01.01.	स्क्रिप्स के नामे को छोड़कर	0037	177451.26	145839.69	150616.01	158478.75
5.01.01.02.	विभिन्न स्क्रिप आधारित योजना के कारण खाते में नामे के माध्यम से	0037	...	41070.31	28883.99	30835.25

(₹ करोड़)

कर राजस्व		मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2023-2024	बजट 2024-2025	संशोधित 2024-2025	बजट 2025-2026
जोड़-बुनियादी शुल्क (स्क्रिप्ट नामे के माध्यम से)			*177451.26*	*186910.00*	*179500.00*	*189314.00*
5.01.02.	सीमा शुल्क पर अतिरिक्त शुल्क (सीवीडी)	0037	...	...	...	...
5.01.03.	राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क	0037	962.07	940.00	1150.00	1220.00
5.01.04.	प्राथमिक शिक्षा उपकर	0037	...	...	...	...
5.01.05.	माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर	0037	...	...	...	...
5.01.06.	समाज कल्याण अधिभार	0037	16273.41	15880.00	17250.00	17500.00
5.01.07.	स्वास्थ्य कर	0037	22.91	30.00	30.00	35.00
5.01.08.	कृषि अवसंरचना और विकास उपकर (एआईडीसी)	0037	27145.54	27800.00	22520.00	22850.00
जोड़-आयात शुल्क			*221855.19*	*231560.00*	*220450.00*	*230919.00*
5.02.	निर्यात शुल्क	0037	3347.07	50.00	6120.00	6210.00
5.03.	निर्यात पर उपकर	0037	-3.19	2000.00	10.00	11.00
5.04.	अन्य प्राप्तियां	0037	2339.74	4135.00	2820.00	2860.00
5.05.	सार्वजनिक नीलामी द्वारा सोने की बिक्री	0037	0.21	...	...	...
5.06.	जब्त माल की बिक्री प्राप्तियां	0037	4230.11	...	3200.00	...
5.07.	स्वर्ण पर सीमा शुल्क	0037	...	...	...	...
5.08.	आकलन के लिए अग्रिम भुगतान की रसीद	0037	162.45	...	...	...
5.09.	सुरक्षण शुल्क	0037	0.12	...	...	...
5.10.	सड़क और अवसरंचना उपकर	0037	2.99	...	...	...
5.11.	प्रति पाटन (एंटी डंपिंग) शुल्क	0037	1184.28	...	2400.00	...
जोड़-सीमा शुल्क			*233118.97*	*237745.00*	*235000.00*	*240000.00*
6.	***केंद्रीय उत्पाद शुल्क***					
6.01.	बुनियादी उत्पाद शुल्क	0038	33786.92	36300.00	36090.00	39180.00
6.02.	मोटर स्प्रिट पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	0038	...	...	...	...
6.03.	हाई स्पीड डीजल तेल पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	0038	...	...	...	...
6.04.	राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क	0038	7812.25	8520.00	8460.00	9160.00
6.05.	विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	0038	146619.61	152190.00	144730.00	144730.00
6.06.	तम्बाकू उत्पादों पर विशेष अतिरिक्त शुल्क	0038	1.27	...	...	...
6.07.	राजस्व विभाग द्वारा प्रशासित उपकर					
6.07.01.	प्राथमिक शिक्षा उपकर	0038	0.03	...	...	...
6.07.02.	माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर	0038	0.04	...	...	...
6.07.03.	कच्चे तेल पर उपकर	0038	18803.41	19410.00	17810.00	19330.00
6.07.04.	बीड़ी पर उपकर	0038	0.01	...	...	...
6.07.05.	चीनी पर उपकर	0038	0.06	...	...	...
6.07.06.	ऑटोमोबाईल पर उपकर	0038	...	...	...	...
6.07.07.	अन्य	0038	...	...	...	...
6.07.08.	स्वच्छ पर्यावरण उपकर	0038	...	...	...	...
6.07.09.	अवसंरचना उपकर	0038	...	...	...	...
6.07.10.	मोटर स्प्रिट और हाई स्पीड डीजल पर उत्पाद शुल्क (सड़क और अवसंरचना उपकर)	0038	44549.50	46530.00	45250.00	47420.00
6.07.11.	कृषि अवसंरचना और विकास उपकर (एआईडीसी)	0038	53778.06	56050.00	52660.00	57180.00
जोड़-राजस्व विभाग द्वारा प्रशासित उपकर			*117131.11*	*121990.00*	*115720.00*	*123930.00*
6.08.	अन्य विभागों द्वारा प्रशासित उपकर					
6.08.01.	रबड़	0038	...	...	...	...
6.08.02.	जूट	0038	-16.07	...	...	...
6.08.03.	चाय	0038	...	...	...	...
6.08.04.	तेल और तिलहन	0038	...	...	...	...

(₹ करोड़)

कर राजस्व		मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2023-2024	बजट 2024-2025	संशोधित 2024-2025	बजट 2025-2026
6.08.05.	सूत	0038	...	...	...	...
6.08.06.	तंबाकू	0038	0.06	...	...	...
6.08.07.	कागज	0038	...	...	...	...
6.08.08.	नमक	0038	...	...	...	...
जोड़-अन्य विभागों द्वारा प्रशासित उपकर			*-16.01*	*...*	*...*	*...*
6.09.	उत्पाद कर अनुषंगी शुल्क	0038	-60.86	...	...	...
6.10.	विशेष उत्पाद कर	0038	-5.91	...	...	...
6.11.	विद्युत उत्पादकता पर उत्पाद शुल्क	0038	...	...	...	...
6.12.	कपड़ा और कपड़े से बनी वस्तुओं पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	0038	...	...	...	...
6.13.	खनिज उत्पाद पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	0038	...	...	...	...
6.14.	बिक्री कर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	0038	0.03	...	...	...
6.15.	टीवी सेट पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	0038	-1.73	...	...	...
6.16.	अन्य शुल्क	0038	9.70	...	...	...
6.17.	जब्त वस्तुओं की बिक्री	0038	0.05	...	...	...
6.18.	विविध प्राप्तियां	0038	85.75	...	...	...
जोड़-केंद्रीय उत्पाद शुल्क			*305362.18*	*319000.00*	*305000.00*	*317000.00*
7.	***सेवा कर***					
7.01.	संग्रहण	0044	415.87	100.00	100.00	100.00
7.02.	शिक्षा उपकर	0044	1.08	...	...	...
7.03.	माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर	0044	0.49	...	...	...
7.04.	स्वच्छ भारत उपकर	0044	5.16	...	...	...
7.05.	कृषि कल्याण उपकर	0044	2.36	...	...	...
7.06.	अन्य प्राप्तियां	0044	...	...	...	...
जोड़-सेवा कर			*424.96*	*100.00*	*100.00*	*100.00*
8.	***माल एवं सेवा कर (जीएसटी)***					
8.01.	केन्द्रीय माल एवं सेवा कर	0005	820622.09	910890.00	908459.00	1010890.00
8.02.	समेकित माल एवं सेवा कर	0008	-4850.43	...	...	...
8.03.	जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकर	0009	141436.16	151009.00	153440.00	167110.00
जोड़-माल एवं सेवा कर (जीएसटी)			*957207.82*	*1061899.00*	*1061899.00*	*1178000.00*
9.	***वस्तु एवं सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क***					
9.01.	बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	0040	...	...	...	...
9.02.	अन्य कर	0045	3929.08	5000.00	5000.00	5000.00
जोड़-वस्तु एवं सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क			*3929.08*	*5000.00*	*5000.00*	*5000.00*
10.	***संघ राज्य क्षेत्रों के कर***					
10.01.	भू राजस्व	0710	17.82	26.00	26.00	29.00
10.02.	स्टाम्प और पंजीकरण	0710	393.63	421.00	423.45	449.00
10.03.	राज्य उत्पाद शुल्क	0710	1304.45	1910.00	1760.00	1900.00
10.04.	बिक्री कर	0710	1492.59	1712.00	1652.00	1712.00
10.05.	वाहनों पर कर	0710	520.55	397.00	597.00	624.00
10.06.	माल और यात्रियों पर कर	0710	15.95	16.30	17.00	18.00
10.07.	बिजली पर कर और शुल्क	0710	0.10	40.00	25.50	30.00
10.08.	अन्य कर और शुल्क	0710	...	4.10	15.06	16.00
10.09.	केंद्र शासित क्षेत्र माल एवं सेवा कर (यूटीजीएसटी)	0007	5497.16	4900.00	4940.00	5355.00
जोड़-संघ राज्य क्षेत्रों के कर			*9242.25*	*9426.40*	*9456.01*	*10133.00*
11.	**घटाइए-राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि को अंतरित एनसीसीडी**					
11.01.	एनसीसीडी (सीमा शुल्क)	0037	-962.07	-940.00	-1150.00	-1220.00

(₹ करोड़)

कर राजस्व		मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2023-2024	बजट 2024-2025	संशोधित 2024-2025	बजट 2025-2026
11.02.	एनसीसीडी (केंद्रीय उत्पाद शुल्क)	0038	-7812.25	-8520.00	-8460.00	-9160.00
निवल-घटाइए-राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि को अंतरित एनसीसीडी			*-8774.32*	*-9460.00*	*-9610.00*	*-10380.00*
12. घटाइए-राज्यों का हिस्सा		0710	-1129493.71	-1247211.28	-1274121.13	-1422444.11
13. घटाइए-वास्तविक आंकड़ों के अनुसार राज्यों के हिस्से का समायोजन		0710	...	...	-12764.31	...
14. पूंजीगत संपत्ति और अन्य लेनदेन पर कर						
14.01.	स्टांप शुल्क और पूंजीकरण शुल्क					
14.01.01.	न्यायालयी स्टांप शुल्क - स्टांप के रूप में जारी न्यायालय शुल्क	0030	0.31	...	...	...
जोड़-कर राजस्व			**2327250.55**	**2583499.12**	**2556959.57**	**2837408.89**
कुल जोड़			***2327250.55***	***2583499.12***	***2556959.57***	***2837408.89***

1. **निगम कर**: यह कर आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कम्पनियों की आय पर लगाया जाता है। 10,20,000 करोड़ रुपए के बजट अनुमान की तुलना में वर्ष 2024-2025 के लिए निगम कर का संशोधित अनुमान,9,80,000 करोड़ रुपए है। 2025-2026 का बजट अनुमान 10,82,000 करोड़ रुपए है।

2. **आय कर**: यह आयकर अधिनियम 1961 के अधीन कंपनियों को छोड़कर व्यक्तियों, फर्मों की आय पर लगने वाला कर है। इस शीर्ष में अन्य कर मुख्य रूप से प्रतिभूति संव्यवहार कर शामिल है, जो शेयर बाजारों और म्युचुअल फंड की इकाइयों पर ली गई सूचिबद्ध प्रतिभूतियों संबंधी संव्यवहार पर लगाई जाती है। 11,87,000 करोड़ रुपए के बजट अनुमान की तुलना में वर्ष 2024-2025 के लिए आय पर करों का संशोधित अनुमान 12,57,000 करोड़ रुपए है। वर्ष 2025-2026 के लिए बजट अनुमान 14,38,000 करोड़ रुपए है। वित्त वर्ष 2018-2019 से आयकर पर 4 प्रतिशत की दर से 'स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर' लगाया गया है।

3. **संपत्ति कर**: धन कर अधिनियम, 1957 के तहत, यह कर व्यक्तियों और कम्पनियों सहित कतिपय व्यक्तियों की विनिर्दिष्ट आस्तियों पर लगाया जाता है। इस कर को 2016-17 से समाप्त किया गया।

5. **सीमा शुल्क**: बजट अनुमान 2,37,745 करोड़ रू. की तुलना में वर्ष 2024-25 के लिए सीमा शुल्क का संशोधित अनुमान 2,35,000 करोड़ रू. है। वर्ष 2025-26 के लिए बजट अनुमान 2,40,000 करोड़ रू. है।

5.01.01. बुनियादी शुल्क (स्क्रिप्ट नामे के माध्यम से): सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत आयातित माल पर सीमा शुल्क का मूलभूत शुल्क उगाही-योग्य है।

5.01.01.01. **स्क्रिप्स के नामे को छोड़कर**: स्क्रिप आधारित स्कीमों के डेबिट के माध्यम से किए भुगतानों को छोड़कर सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत आयातित माल पर सीमा शुल्क का मूल शुल्क उगाही-योग्य है।

5.01.01.02. **विभिन्न स्क्रिप आधारित योजना के कारण खाते में नामे के माध्यम से**: वर्तमान स्कीमों के अलावा, कुछ शुल्क ऋण स्क्रिप्स जिनका उपयोग वर्तमान वर्ष में किया गया है उन स्कीमों से संबंधित है जो एफटीपी के अनुसार पूर्व में प्रवृत्त थे और जहां शुल्क ऋण स्किप एरियर वर्तमान वर्ष में अनुमत की गई है। शुल्क ऋण स्कीम एक निर्यातक को कुछ ऋण राशि उपलब्ध कराती हैं जिनका उपयोग आधारभूत सीमा शुल्क के भुगतान हेतु किया जा सकता है। शुल्क ऋण की अनुमति अन्य के साथ-साथ उन करों/शुल्कों/उधारों की प्रतिपूर्ति के लिए दी जाती है जिन्हें निर्यात किए गए वस्तुओं में उपयोग किया गया होता है। ये स्क्रिप निर्यातक के लेज़र खाते में जमा हो जाती है जिसका रख-रखाव कस्टम ईडीआई में किया जाता है। ऐसी योजनाओं का विवरण निम्नानुसार हैः (i)मर्चेंडाइज़ एक्सपोर्ट फ्रोम इंडिया स्कीम (एमईआईएस) (संशोधित अनुमान 2024-25 में 3,279.34 करोड़ रुपए, बजट अनुमान 2025-26 में 3,500.88 करोड़ रुपए); (ii) सर्विस एक्सपोर्ट फ्रोम इंडिया स्कीम (एसईआईएस) (संशोधित अनुमान 2024-25 में 1,623.47 करोड़ रुपए, बजट अनुमान 2025-26 में 1,733.14 करोड़ रुपए); (iii) राज्य और केंद्रीय करों और वसूलियों पर छूट (आरओएससीटीएल) (संशोधित अनुमान 2024-25 में 2,854.14 करोड़ रुपए, बजट अनुमान 2025-26 में 3,046.95 करोड़ रुपए); (iv) रिवेट ऑन स्टेट लेवी स्कीम (आरओएसएल) (संशोधित अनुमान 2024-25 में 294.56 करोड़ रुपए, बजट अनुमान 2025-26 में 314.45 करोड़ रुपए); (v) मोबाइल फोनों के लिए 2 प्रतिशत अतिरिक्त तदर्थ बोनस प्रोत्साहन (संशोधित अनुमान 2024-25 में 172.02 करोड़ रुपए, बजट अनुमान 2025-26 में 183.64 करोड़ रुपए); (vi) रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टेक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट (आरओडीटीईपी) (संशोधित अनुमान 2024-25 में 19,091.43 करोड़ रुपए, बजट अनुमान 2025-26 में 20,381.15 करोड़ रुपए); (vii) टार्गेट प्लस स्कीम (टीपीएस) (संशोधित अनुमान 2024-25 में 1,485.28 करोड़ रुपए, बजट अनुमान 2025-26 में 1,585.62 करोड़ रुपए); (viii) केंद्रित उत्पाद स्कीम (एफपीएस) और बाजार संबद्ध केंद्रित उत्पाद स्कीम (संशोधित अनुमान 2024-25 में 4.73 करोड़ रुपए, बजट अनुमान 2025-26 में 5.05 करोड़ रुपए); (ix) फोकस मार्केट स्कीम (एफएमएस) (संशोधित अनुमान 2024-25 में 3.26 करोड़ रुपए, बजट अनुमान 2025-26 में 3.48 करोड़

रुपए); (x) विशेष कृषि और ग्रामोद्योग योजना (वीकेजीयूवाई) (संशोधित अनुमान 2024-25 में 0.39 करोड़ रुपए, बजट अनुमान 2025-26 में 0.41 करोड़ रुपए); (xi) स्टेट्स होल्डर इनसेंटिव स्कीम (एसएचआईएस) (संशोधित अनुमान 2024-25 में 8.45 करोड़ रुपए, बजट अनुमान 2025-26 में 9.02 करोड़ रुपए); और (xii) वृद्धिशील निर्यात संवर्धन स्कीम (संशोधित अनुमान 2024-25 में 66.93 करोड़ रुपए, बजट अनुमान 2025-26 में 71.45 करोड़ रुपए)।

5.01.02. सीमा शुल्क पर अतिरिक्त शुल्क (सीवीडी): सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अंर्तगत अधीन शुल्क पर अतिरिक्त शुल्क वसूला जा सकता है, जो घरेलू रूप से विनिर्मित उत्पादों पर वसूले जाने वाले उत्पाद शुल्क के समकक्ष है। इस शुल्क को 01 जुलाई 2017 से जीएसटी के अंतर्गत सम्मिलित (कुछ पेट्रोलियम उत्पादों को छोड़कर, जो जीएसटी से बाहर हैं) कर लिया गया है।

5.01.03. राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क: वित्त अधिनियम, 2001 के तहत विनिर्दिष्ट तंबाकु उत्पादों पर और वित्त अधिनियम, 2003 के तहत कच्चे पेट्रोलियम उत्पादों पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क वसूला जाता है । अन्य मदों पर एनसीसीडी को 01 जुलाई, 2017 से जीएसटी में मिलाया गया है।

5.01.07. स्वास्थ्य कर: यह कुछ चिकित्सा उपकरणों पर सीमा शुल्क के रूप में लगाया गया उपकर है।

5.01.08. कृषि अवसंरचना और विकास उपकर (एआईडीसी): कृषि अवसंरचना और अन्य विकास व्यय के वित्त पोषण के प्रयोजन के लिए वित्त अधिनियम, 2021 के तहत कृषि अवसंरचना एवं विकास उपकर को सीमा शुल्क के प्रभार के रूप में वसूला जाता है।

5.02. निर्यात शुल्क: कुछ विनिर्दिष्ट मदों जैसे लोहा और क्रोमियम के अयस्कों और सान्द्रणों आदि के निर्यात पर उत्पाद शुल्क लगाया जाता है।

6. केंद्रीय उत्पाद शुल्क: बजट अनुमान 3,19,0000 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष 24-25 के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्कों का संशोधित अनुमान 3,05,000 करोड़ रुपए है। वर्ष 2025-26 के लिए बजट अनुमान 3,17,000 करोड़ रुपए है।

6.01. बुनियादी उत्पाद शुल्क: बुनियादी उत्पाद शुल्क केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के अधीन विशेष दरों पर लागू है। यह शुल्क इस समय संविधान के 7वीं अनुसूची की पहली सूची के प्रविष्टी संख्या 84 के अनुसार विशेष पेट्रोलियम उत्पादों और तंबाकू उत्पादों में लगाया जाता है।

6.04. राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क: राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क, वित्त अधिनियम, 2001 के तहत कुछ विनिर्दिष्ट तम्बाकू उत्पादों पर और वित्त अधिनियम, 2003 के तहत कच्चे पेट्रोलियम पर लगाया जाता है। अन्य मदों पर एनसीसीडी को 1 जुलाई, 2017 से जीएसटी में मिलाया गया है।

6.05. विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क: वित्त अधिनियम 2002 द्वारा मोटर स्प्रिट (पैट्रोल) और उच्च गति डीजल तेल (एचएसडी) पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क उग्रहणीय है। इसे आम भाषा में अधिभार के नाम से जाना जाता है।

6.07.10. मोटर स्प्रिट और हाई स्पीड डीजल पर उत्पाद शुल्क (सड़क और अवसंरचना उपकर): अवसरंना परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए वित्त अधिनियम, 2018 के तहत सड़क एवं अवसंरचना उपकर (आर ईसी) को एक अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के रूप में वसूला जाता है।

6.07.11. कृषि अवसंरचना और विकास उपकर (एआईडीसी): वित्त अधिनियम, 2021 के तहत कृषि अवसंरचना और अन्य विकास व्यय के वित्तपोषण के उद्देश्य से सातवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के रूप में कृषि अवसंरचना और विकास उपकर वसूला जाता है।

7. सेवा कर: सेवा कर को दिनांक 01 जुलाई, 2017 से जीएसटी के तहत शामिल कर लिया गया है। बजट अनुमान 100 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष 2024-25 के लिए सेवा कर अवशिष्ट का संशोधित अनुमान 100 करोड़ रुपए है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सेवा कर अवशिष्ट (एरियर) हेतु बजट अनुमान 100 करोड़ रुपए है।

8. माल एवं सेवा कर (जीएसटी): माल एवं सेवा कर (जीएसटी) 01 जुलाई, 2017 से लागू हुआ। जीएसटी मानव उपभोग के लिए एल्कोहल युक्त शराब की आपूर्ति को छोड़कर माल अथवा सेवाओं अथवा दोनों की आपूर्ति पर लगाया जाने वाला कर है। बजट अनुमान 9,10,890 करोड़ रुपए की तुलना में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सीजीएसटी का संशोधित अनुमान 9,08,459 करोड़ रुपए है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सीजीएसटी का बजट अनुमान 10,10,890 करोड़ रुपए है। आईजीएसटी राजस्व ऋणों के प्रति-उपयोग के परिणाम स्वरूप केन्द्र और राज्यों के बीच समानुपात विभाजन और निधि के निपटारे के अध्यधीन है। जीएसटी प्रतिपूरक उपकर के संबंध में वर्ष 2024-25 का संशोधित अनुमान और 2025-26 का बजट अनुमान क्रमश: 1,53,440 करोड रु. और 1,67,110 करोड रु. है।

13. घटाइए-वास्तविक आंकड़ों के अनुसार राज्यों के हिस्से का समायोजन: इस राजकोषीय वर्ष में कर अंतरण के अवधि पूर्व समायोजन के चलते राज्यों को 13,963.60 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भुगतान किया जाना है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित किए गए अनुसार वित्त वर्ष 2022-2023 के दौरान किए गए अतिरिक्त अंतरण के लिए 1,199.29 करोड़ रुपए की वसूलियां करने के बाद वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 12,764.31 करोड़ रुपए की राशि राज्य सरकारों को देय है। ये आंकड़े अनंतिम है और केंद्र या राज्य सरकारों से वसूली या किसी प्रकार के लंबित भुगतान योग्य राशियों को देखते हुए बदल सकती हैं।